राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

''आबकारी भवन'', 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

दूरभाष नम्बर 0294–2527086 EXT 126. Email: excise.section.ho.excise@rajasthan.gov.in

क्रमांक प. 32 (बी) (1) आब/एल/2020–21/5427 दिनांक: 13.03.2020

जिला आबकारी अधिकारी,
समस्त।

विषय :– आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (R.M.L.) के खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के विस्तृत दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (R.M.L.) के खुदरा विक्रय के सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 9.1 के अन्तर्गत सफल आवेदक को वर्ष 2020–21 की वार्षिक राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि लॉटरी की दिनांक 12.03.2020 को छोड़कर 03 दिवस में यानि दिनांक 15.03.2020 तक एवं शेष 2 प्रतिशत धरोहर राशि लॉटरी दिनांक 22.03.2020 तक जमा कराई जानी है।

दिनांक 14.03.2020 एवं 15.03.2020 को राजकीय अवकाश होने से प्रथम 2 प्रतिशत धरोहर राशि दिनांक 15.03.2020 के स्थान पर दिनांक **17.03.2020** तक एवं शेष 2 प्रतिशत धरोहर राशि दिनांक **27.03.2020** तक राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करे।

(विष्णु चरण मल्लिक)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

क्रमांक प. 32 (बी) (1) आब/एल/2020–21/5427 दिनांक: 13.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त।
4. प्रभारी, कम्प्युटर अनुभाग, मुख्यालय।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

दूरभाष नम्बर 0294–2527086 EXT 126. Email: excise.section.ho.excise@rajasthan.gov.in

क्रमांक प. 32 (बी) (1) आब / एल / 2020–21 / 5428 दिनांकः 13.03.2020

जिला आबकारी अधिकारी,
समस्त।

विषय :–आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के विस्तृत दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के खुदरा विक्रय के सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 10.1 के अन्तर्गत सफल आवेदक को वर्ष 2020–21 की वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 40 प्रतिशत राशि लॉटरी की दिनांक 12.03.2020 से 03 दिन में यानि दिनांक 14.03.2020 तक एवं शेष 60 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क की राशि लॉटरी दिनांक से दस दिन में यानि दिनांक 21.03.2020 तक जमा कराई जानी है।

दिनांक 14.03.2020 एवं 15.03.2020 को राजकीय अवकाश होने से प्रथम 40 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क की राशि दिनांक 14.03.2020 के स्थान पर **दिनांक 17.03.2020** तक एवं शेष 60 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क की राशि दिनांक **27.03.2020** तक राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करे।

(विष्णु चरण मल्लिक)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

क्रमांक प. 32 (बी) (1) आब / एल / 2020–21 / 5428 दिनांकः 13.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त।
4. प्रभारी, कम्प्युटर अनुभाग, मुख्यालय।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान